

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/एक्स-34 पार्ट-2/2024/76

दिनांक:- 23/2/24

--: आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	जयोति देवडा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (जालौर)	05.05.1964	10.09.1990	31.05.2024
2	सुसम्मा पी. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (जालौर)	28.05.1964	13.01.1997	31.05.2024
3	लिसी कुटटी एमएम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (जालौर)	08.03.1964	23.08.1989	31.03.2024
4	पद्मा देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (बालोतरा)	07.11.1964	21.10.1988	30.11.2024
5	कमला चौधरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मु.चि.एवं.स्वा. अधि. (बालोतरा)	28.12.1964	21.10.1988	31.12.2024
6	रुकमा हाडा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र माण्डियाई खुर्द खण्ड औसिया(जोधपुर)	06.07.1964	02.01.1989	31.07.2024
7	सीता देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र बरसालू कल्ला खण्ड औसिया(जोधपुर)	25.02.1964	05.11.1988	29.02.2024
8	मोलम्मा टी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलाल कॉलोली (जोधपुर)	23.05.1964	24.06.1985	31.05.2024
9	मंजू रानी शर्मा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	मेडिकल कॉलेज जोधपुर	15.03.1964	21.03.1994	31.03.2024
10	प्रसन्नलता चौहान, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	खण्ड मु.चि.अधि.बालेसर (जोधपुर)	10.05.1964	21.03.1994	31.05.2024
11	मंजू पुरोहित, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र, शिवनगरी खण्ड कल्याणपुर	10.04.1964	04.11.1988	30.04.2024
12	सरोज चौहान, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	प्रा.स्वा.केन्द्र.कांकरालाखण्ड कल्याणपुर	20.05.1964	15.09.1986	31.05.2024
13	सुशीला पी.आर महिला स्वास्थ्य दर्शिका	सामू.स्वा.केन्द्र,जसोल खण्ड बालोतरा	28.05.1964	20.07.1985	31.05.2024
14	अजीता पीजी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	आरसीएचओ (पाली)	28.05.1964	02.01.1988	31.05.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन-जोधपुर/से0नि0/एक्स-34 पार्ट-2/2024/76

दिनांक:- 23/2/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रण डा0.सम्पूर्णानन्द आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/पाली/ बालोतरा/जालौर
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/टी.सी. अनुभाग, अराजपत्रित, मुख्यालय।
- सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रमारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
5685564

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :22-02-2024 09:20:46